

बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

1051
31/5/2018

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई, 2016 में प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा पचरुखिया, प्रखण्ड- हसपुरा, जिला-औरंगाबाद तथा दाउदनगर(औरंगाबाद) में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इन दोनों केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें KYP code आवंटित किया गया।

कालांतर में श्री कुमार अश्विनी, पिता श्री राम परिखा सिंह, ग्राम+पो0-ईटवा, हसपुरा, जिला-औरंगाबाद के द्वारा शपथ पत्र पर बिहार कौशल विकास मिशन को अप्रैल, 2018 में एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., हैबसपुर, पचरुखिया, हसपुरा, जिला-औरंगाबाद KYP केन्द्र के संचालक हैं, जिसका Center code 04010002 है। शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उनके तथा श्री शशिरंजन कुमार सिंह, CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के बीच यह समझौता हुआ था कि उन्हीं के माध्यम से पचरुखिया में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जायेगा जिसके आधार पर वे इस केन्द्र का संचालन कर रहे हैं। कुछ माह बाद जब वे शशिरंजन कुमार सिंह से भुगतान की मांग किये तो श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा इनसे कमीशन की मांग की गयी। जब उन्होंने कमीशन देने से मना किया तब श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा भुगतान से मना कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें शशिरंजन कुमार सिंह को 15% कमीशन तय करना पड़ा। शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया कि इस केन्द्र को स्थापित करने में सारी पूंजी उनकी लगी हुई है तथा इस सेंटर पर होने वाले सारे खर्च का वहन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, फिर भी श्री शशिरंजन कुमार सिंह उन्हें राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

इसी प्रकार माह अप्रैल, 2018 में ही श्री राजेश कुमार सिन्हा, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र दाउदनगर, KYP code 04010001 के द्वारा शपथ पत्र के साथ बिहार कौशल विकास मिशन को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., पीराहीबाग, दाउदनगर(औरंगाबाद) के संचालक हैं, जिसका KYP code 04010001 है। उनके तथा श्री शशिरंजन कुमार सिंह, CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., औरंगाबाद के बीच एक समझौता हुआ था कि उन्हीं के माध्यम से दाउदनगर में कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्र का संचालन कराया जायेगा, जिसके आधार पर वे इस केन्द्र का संचालन कर रहे हैं। कुछ माह के पश्चात जब उनके द्वारा श्री शशिरंजन कुमार सिंह से भुगतान की मांग की गयी तो श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा कमीशन की मांग की जाने लगी तथा जब उनके द्वारा कमीशन देने से इनकार किया गया तो श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा भुगतान देने से मना कर दिया गया, जिससे लाचार होकर इन्हें श्री शशिरंजन कुमार सिंह को 15% कमीशन तय करना पड़ा। आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इस केन्द्र को स्थापित करने में सारी पूंजी उनकी लगी है तथा इस सेंटर पर होने वाले सारे व्यय का वहन उन्हीं के द्वारा किया जाता



है । कमीशन तय होने के बावजूद भी श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है ।

श्री कुमार अश्विनी तथा श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ श्री शशिरंजन कुमार सिन्हा के साथ हस्ताक्षरित Business Associate Internal Agreement की एक प्रति भी संलग्न की गयी, साथ ही इस केन्द्र के लिए किरायानामा के एकरारनामा की प्रति, कंप्यूटर आदि क्रय किये जाने का विपत्र भी संलग्न किया गया है ।

श्री कुमार अश्विनी तथा श्री राजेश कुमार सिन्हा से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या- 709 दिनांक-11.04.2018 के द्वारा श्री शशिरंजन कुमार सिंह CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., औरंगाबाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में उनके द्वारा अपने पत्र संख्या-शून्य दिनांक-14.4.2018 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

अपने स्पष्टीकरण में श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., कुशल युवा कार्यक्रम तथा Domain Skilling के तहत दो जिलों में गुणवत्तापूर्वक Training तथा Training के पश्चात रोजगार मुहैया करा रहा है । SDC, दाउदनगर, KYP code 04010001 तथा SDC, पचरुखिया, हसपुरा, KYP code 04010002, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जहाँ Microsoft Software Company के द्वारा ही provide किया गया है, साथ ही दोनों SDC का Rent Agreement मकान मालिक एवं Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के बीच तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया है। इन केन्द्रों का Operational एवं Technical guideline सीधे सीधी कंपनी Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा ही प्रदान किया जाता है । इन केन्द्रों पर समय समय पर कंपनी के वरीय/ एक्सपर्ट टीम का visit होता रहता है, ताकि BSDM के अनुसार यहाँ Quality training provide हो सके ।

श्री कुमार अश्विनी के संबंध में उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ये पचरुखिया, हसपुरा SDC के Coordinator के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा पैसे के लालच में उन्हें परेशान कर रहे हैं । साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा श्री कुमार अश्विनी को निर्गत Joining/Appointment Letter की Receiving copy संलग्न की गयी है । श्री राजेश कुमार सिन्हा के संबंध में Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd., के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि श्री राजेश कुमार सिन्हा से माह सितम्बर, 2017 के बाद उनका कोई लगाव नहीं है । ये एक प्रकार के ब्रोकरी करने वाले घातक व्यक्ति हैं, जो बहुत से कंपनी के ऑनर होने का दावा करते हैं । श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा SDC के Operation में हमेशा परेशानी खड़ी की जाती है । इस केन्द्र की सारी टीम कंपनी के गार्डइलाइन के अनुसार काम करती है तथा सभी को Comtech के द्वारा Joining/Appointment Letter निर्गत किया गया है । साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा कर्मियों को निर्गत Appointment Letter की प्रति संलग्न की गयी है ।

CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा आवेदकों के माध्यम से समर्पित Business Associate Internal Agreement के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में कुछ भी नहीं कहा गया है, साथ ही आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रथम किरायेनामा के संबंध में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है ।

श्री शशिरंजन कुमार सिंह, CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह स्थापित कर सके कि इन केन्द्रों को सीधे रूप से Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा संचालित किया जा रहा है । जबकि आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के साथ हस्ताक्षरित Business Associate Internal Agreement की प्रति संलग्न की गयी है । इस Agreement के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन केन्द्रों के संचालन के लिए Business Associates को ही इन केन्द्रों के सभी Infrastructure तथा Manpower को Provide करना है, जिसके एवज में Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा उन्हें प्रथम बैच के लिए 89% तथा उसके बाद के Batches के लिए 85% प्राप्त राशि का भुगतान किया जायेगा । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है की अगर किसी संगठन के द्वारा SDC केन्द्र को स्वयं संचालित किया जाता है, तो अपने Employee को कभी भी 89% या 85% प्राप्त राजस्व का भुगतान नहीं किया जा सकता है । आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न भवन के किराया का प्रथम एकरारनामा के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि सर्वप्रथम इन भवनों में केन्द्र संचालन हेतु किराये का एकरारनामा मकान मालिक के साथ उन्हीं के द्वारा किया गया है ।

आवेदकों से प्राप्त सभी कागजातों तथा CEO, Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. से प्राप्त स्पष्टीकरण के विश्लेषण के पश्चात यह स्थापित होता है कि KYP code 04010001 तथा KYP code 04010002 का संचालन Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन केन्द्रों का संचालन श्री राजेश कुमार सिन्हा तथा श्री कुमार अश्विनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा उन्हें प्रथम बैच के लिए 89% तथा उसके बाद के Batches के लिए 85% प्राप्त राशि का भुगतान किये जाने का एकरारनामा श्री शशिरंजन कुमार सिंह के द्वारा किया गया है ।

यह तथ्यात्मक है कि SDC के प्रथम चरण के पंजीकरण के शर्तों में Franchisee mode के संचालन या नहीं संचालन के बिन्दु पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अंकित नहीं था, लेकिन सितम्बर, 2017 के महीने में जब ऐसी शिकायतें प्राप्त होने लगी कि कतिपय SDC संचालकों के द्वारा अपने केन्द्र को Franchisee mode में संचालित किया जा रहा है, तब सभी SDC संचालकों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया गया कि वे अपने साथ संबद्ध कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वयं संचालित कर रहे हैं तथा उनके द्वारा इसका संचालन Franchisee mode में नहीं किया जा रहा है । Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को यह सूचित किया गया कि वे इन दोनों केन्द्रों को स्वयं संचालित कर रहे हैं तथा इन्हें उनके द्वारा किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति को Franchisee mode में नहीं दिया गया है ।



सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह प्रमाणित होता है कि SDC दाउदनगर KYP code 04010001 तथा SDC पचरुखिया, हसपुरा KYP code 04010002 Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा सीधे तौर पर संचालित नहीं हैं, अपितु इनका संचालन श्री राजेश कुमार सिन्हा तथा श्री कुमार अश्विनी के द्वारा किया जा रहा है तथा Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में इन केन्द्रों को सीधे अपने द्वारा संचालित किये जाने का गलत शपथ पत्र समर्पित किया गया है । Franchisee mode में केन्द्रों के संचालन से अनावश्यक रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है । Comtech Training & Technologies Pvt. Ltd. के द्वारा विचौलिया की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में SDC दाउदनगर KYP code 04010001 तथा SDC पचरुखिया, हसपुरा KYP code 04010002 का स्वामित्व श्री राजेश कुमार सिन्हा तथा श्री कुमार अश्विनी के नाम पर परिवर्तित किया जाता है, जिनके द्वारा इन केन्द्रों का वास्तविक संचालन हो रहा है । श्री राजेश कुमार सिन्हा तथा श्री कुमार अश्विनी को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाली सूचना यथा Organisation name, Center Name, Owners name, Pan detail of Owner, Bank Account of Owner, email id & Mobile number of Owner की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/ परिवर्तन किया जा सके ।

ह0/-

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक-BSDM/SDM-26/2018-1051

पटना, दिनांक- 31/5/2018

प्रतिलिपि- (1) CEO, Comptech Training & Technologies Pvt. Ltd. औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) श्री राजेश कुमार सिन्हा, पिता श्री मुनमुन प्रसाद सिन्हा, कायरथ टोली, पो0+थाना-दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद/ कुमार अश्विनी, पिता श्री राम परिखरा सिंह, ग्राम+पो0-ईटवा, हसपुरा, जिला-औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(3) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । Project Director, MKCL को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे । मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC के संचालकों के बीच परिचारित करने का कष्ट करेंगे ।

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।